संख्या-78/2022/1530/छप्पन-2022-56-1001(099)/3/2022

प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ, दिनांक: 29 सितम्बर, 2022

विषय: शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट के लिए एक नए हैलीकॉप्टर का क्रय तथा उस हेतु एक पुराने हैलीकॉप्टर का प्रतिस्थापन/निस्तारण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 141/ना0उ0नि0उ0प्र0/इंजी0/डी-8/2022 दिनांक 12 सितम्बर, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अतिविशिष्टि महानुभावों की गरिमा एवं उड़ान सुरक्षा के उच्च मापदण्डों के दृष्टिगत कतिपय विशिष्टियों से युक्त नए हैलीकॉप्टर को क्रय करने तथा उस हेतु एक पुराने हैलीकॉप्टर का प्रतिस्थापन/निस्तारण किए जाने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में बिन्दुवार प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उस पर मा0 मन्त्रि-परिषद से अनुमोदन प्राप्त किए जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अतिविशिष्टि महानुभावों की गरिमा एवं उड़ान सुरक्षा के उच्च मापदण्डों के दृष्टिगत शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट के लिए एक नए हैलीकॉप्टर का क्रय तथा उस हेतु एक पुराने हैलीकॉप्टर का प्रतिस्थापन/निस्तारण किए जाने के सम्बन्ध में मा0 शासन द्वारा निम्नवत् कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) क्रय किए जाने से सम्बन्धित नया हैलीकॉप्टर निम्न विशिष्टियों से युक्त होना चाहिए:-

I. The Helicopter should be twin turbine engine.

II. Should have type certificate approved by authority- FAA / EASA as applicable and acceptable to DGCA (India). The installed Supplemental Type Certificates (STCs) must have been accepted by DGCA (India).

III. Certified for dual pilot IFR operation, Category A rotorcraft.

IV. Must meet the installed Instrument /Equipment Requirements as per DGCA (India) CAR SECTION 2 – *AIRWORTHINESS SERIES I - AIRCRAFT INSTRUMENT, EQUIPMENT AND ACCESSORIES, Part II, Part V, Part VI, Part VII, Part VIII as applicable for General Aviation Operation.* Flight over Water requirements not applicable.

V. Must meet DGCA (India) current airworthiness, operation and safety requirements.

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

VI. The noise levels must comply with the FAR Part 36 / and ICAO Annex 16.

VII. The Maximum Take-off weight of helicopter must not exceed 9000 Kg.

VIII. Passenger capacity to be 07 or more in VIP configuration.

IX. Cabin volume (more than 200 cubic feet).

X. Capable of landing at an Altitude of 12000 ft with min two passengers on board.

XI. Minimum range of 300 nm.

(2) विभाग की फ्लीट के लिए एक नए हैलीकॉप्टर का क्रय तथा उस हेतु एक पुराने हैलीकॉप्टर का प्रतिस्थापन/निस्तारण किए जाने से सम्बन्धित प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन द्वारा लिए गए बिन्दुवार निर्णय निम्नवत् है:-

I. उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियों (I से XI) के अनुसार नए हैलीकॉप्टर के क्रय हेतु Expression of Interest (EoI) जारी किया जाएगा।

II. प्राप्त होने वाले Expression of Interest (EoI) का अध्ययन/परीक्षण शासन द्वारा गठित तकनीकी समिति से कराया जाना तथा निर्माता कम्पनियों से अपने Product का प्रस्तुतीकरण कराया जाएगा।

III. प्रस्तुतीकरण के पश्चात तकनीकी समिति द्वारा हैलीकॉप्टर को चिन्हित कर व संभावित क्रय मूल्य के सम्बन्ध में समिति का प्रतिवेदन शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

IV. प्रतिवेदन पर शासन के अनुमोदनोपरान्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगोशिएशन कमेटी का गठन किया जाएगा, जो चिन्हित हैलीकॉप्टर निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ Price, Payment Terms, Services & Technical Assistance के सम्बन्ध में निगोशिएशन कर अन्तिम निर्णय कराएगी।

V. अन्तिम निर्णयोपरान्त सुसंगत मद में आय-व्ययक की व्यवस्था कराते हुए निर्माता को क्रय आदेश निर्गत किया जाएगा।

VI. नए हैलीकॉप्टर के क्रयोपरान्त राज्य सरकार की फ्लीट में सुसंगत शासनादेश के आलोक में तीन हैलीकॉप्टर की फ्लीट को बनाए रखने के उद्देश्य से वर्तमान में उपलब्ध अगुस्ता ए109एस0 हैलीकॉप्टर वी0टी0-यू0पी0एल0 का बॉण्डेड स्टोर में उपलब्ध उसके स्पेयर्स तथा रोटेबल्स सहित विक्रय किया जाएगा।

VII. अगुस्ता ए109एस0 हैलीकॉप्टर वी0टी0-यू0पी0एल0 के बॉण्डेड स्टोर में उपलब्ध उसके स्पेयर्स तथा रोटेबल्स सहित विक्रय हेतु Market Realizable Value (MRV) का निर्धारण करने के लिए निविदा के माध्यम से प्रोफैशनल वैल्युअर का चयन किया जाएगा। चयनित वैल्युअर द्वारा किए गए वैल्युएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए Market Realizable Value (MRV) पर शासन के अनुमोदन के पश्चात नीलामी के माध्यम से विक्रय की कार्यवाही की जाएगी।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

VIII. अगुस्ता ए109एस0 हैलीकॉप्टर वी0टी0-यू0पी0एल0 व बॉण्डेड स्टोर में उपलब्ध उसके स्पेयर्स तथा रोटेबल्स का विक्रय, नए हैलीकॉप्टर के क्रयोपरान्त उसके वी0आई0पी0 उड़ान हेतु उपलब्ध होने के पश्चात किया जाएगा।

3- एक नए हैलीकॉप्टर का क्रय तथा उस हेतु एक पुराने हैलीकॉप्टर का प्रतिस्थापन/निस्तारण किए जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन द्वारा लिए गए उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित निर्णयों के आलोक में कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं जिस बिन्दु पर शासन से अनुमोदन की आवश्यकता हो उसके सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रस्ताव यथा समय उपलब्ध कराया जाए।

भवदीय,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।